Regarding alleged high handed practices in the name of verification of identities

श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी (श्रीनगर) : मैडम चेयरपर्सन, मैं आपके ज़रिए कश्मीर में एक इंपॉर्टेंट इश्यू की तरफ, जो एक ज़ुल्म हो रहा है, उसकी ओर गवर्मेंट की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ । वैरिफिकेशन के नाम पर, जो वैरिफिकेशन रिजीम है, उससे लोगों को सताया जा रहा है । अगर कोई शख्स किसी मिलिटेंट एक्टिविटी में कहीं पाया गया, उसकी सज़ा सारे रिलेटिव्स को दी जाती है । जॉब की वेरिफिकेशन, पासपोर्ट की वेरिफिकेशन, हर तरह के कॉन्ट्रेक्ट्स, बिज़नेस की वेरिफिकेशन बंद की जाती है । यह कांस्टिट्यूशन, लॉ के अगेंस्ट है । किसी एक के क्राइम के बदले पूरी फैमिली, एक्सटेंडिट रिलेटिव्स को सज़ा देना गलत है । हाई कोर्ट ने भी इस बारे में डायरेक्शन दी है । मैं चाहता हूँ कि कम से कम आप भी चेयर के ज़रिए डायरेक्शन दें । मैंने होम मिनिस्ट्री के साथ यह पॉइंट रेज़ किया था । अभी तक इसका जवाब नहीं मिला है । आप डायरेक्शन दें कि कम से कम लॉ का लिहाज़ रखा जाए । एक की सज़ा दूसरे को न दी जाए । यह लॉ एण्ड जस्टिस का वॉयलेशन है ।